संख्याः-7/2020/264/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0 प्र0नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊः दिनांक 02 मार्च, 2020

विषयः-वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामान्य पक्ष में अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत डिसेन्ट्रलाईज्ड डिस्ट्रीब्यूटिड जनरेशन (डी0डी0जी0) कार्यक्रम के अन्तर्गत सौर ऊर्जा के माध्यम से ग्रामों का विद्युतीकरण परियोजना हेतु आर0ई0सी0, भारत सरकार द्वारा परियोजना धनराशि का राज्य सरकार को ऋण के रूप में स्वीकृत 10 प्रतिशत धनराशि का ब्याज भुगतान करने हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-4603/यूपीनेडा- डीडीजी(8)/आरईसी-ब्याज/2016-17, दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 एवं पत्र संख्या-6675/यूपीनेडा-डीडीजी(8)आरईसी-ब्याज/2016-17 दिनांक 07 फरवरी 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर0ई0सी0) ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु डी0डी0जी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 05 जनपदों (ललितपुर, हमीरपुर, लखीमपुर, बहराईच एवं सोनभद्र) के 25 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु परियोजना स्वीकृत की गयी है। उक्त परियोजना हेतु 90 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा कैपिटल अनुदान एवं शेष 10 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार को ऋण के रूप में स्वीकृत की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु राज्य सरकार, आर0ई0सी0 एंव यूपीनेडा के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त अनुबंध के अनुरूप राज्य सरकार को स्वीकृत ऋण के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि का त्रैमासिक ब्याज भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना वांछनीय है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में धनराशि रू0 18.66 लाख की बजट व्यवस्था है। इस धनराशि में शासनादेश संख्या-574/87-अति0 ऊ0स्रो0वि0/2019, दिनांक 27 मई, 2019 द्वारा धनराशि रू0 9.33 लाख (रू0 नौ लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। यूपीनेडा के अनुरोध के क्रम में अवशेष धनराशि रु0 9.33 लाख (रू0 नौ लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय /उपयोग राज्य सरकार, आर0ई0सी0 एवं यूपीनेडा के मध्य हुए त्रिपक्षीय अनुबंध में उल्लिखित मानक / दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोग के लिये नही किया जायेगा।

3- यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना हेतु किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

5- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31.03.2020 तक कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2020 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यूपीनेडा द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि को आहरित/व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 तथा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -70 के अधीन लेखा शीर्षक-''2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-60-अन्य-800-अन्य व्यय-08-डिसेन्ट्रलाईज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन (डी0डी0जी0) कार्यक्रम के अन्तर्गत सौर ऊर्जा के माध्यम से ग्रामों का विद्युतीकरण-20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-34/दस-2020 दिनांक 28-02-2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(4) राज्य योजना आयोग-1
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ. प्र., प्रयागराज।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से ,
राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।